

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी (म0प्र0)


आदेश

क्रमांक- 2197 /एस.डब्ल्यू/ 2020

सिवनी दिनांक 26 मार्च 2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले में लाकडॉउन होने पर सिवनी जिले की समस्त अनुभाग क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा, को ध्यान में रखते हुये आवश्यक घरेलू सेवाओं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, गैस मैकनिक, टेलीकाम कंपनी के प्रतिनिधि, केबल आपरेटर आदि को आवश्यकतानुसार घर घर जाकर कार्य संपादित करने हेतु अनुज्ञा पास जारी करने के लिये समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने क्षेत्र हेतु अधिकृत किया जाता है ।

समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त परिस्थितियों का आकलन करते हुये व्यक्तियों को निर्धारित समय के लिये अनुज्ञा पास जारी करना सुनिश्चित करेंगे ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी


सिवनी

सिवनी दिनांक 26 मार्च 2020

पृ0 क्रमांक-2197 / ए / एस.डब्ल्यू / 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- पुलिस अधीक्षक, सिवनी
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी
- 3- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी / बरघाट / केवलारी / घंसौर / लखनादौन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित
- 4- सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग सिवनी


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सिवनी